

# भूमि सुधार उप समाहर्ता का न्यायालय, घाटशिला।

(आदेश फलक)

नामान्तरण अपील वाद संख्या-03/2017-18

केश का प्रकार :- नामान्तरण अपील

श्री बिजय कुमार पात्र, पिता-स्व0 राखाल चन्द्र पात्र ..... अपीलकर्ता

-बनाम-

राज्य सरकार झारखण्ड (अंचल अधिकारी, बहरागोड़ा ..... विपक्षी

क्रमांक/तिथि	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	की गई कार्रवाई
21.12.17	<p>यह नामान्तरण अपील वाद अंचल अधिकारी बहरागोड़ा के पत्रांक-335, दिनांक-16/06/2017, मुख्यमंत्री जन संवाद केन्द्र, झारखण्ड के Grievance NO-2017-37782 एवं अपीलकर्ता श्री बिजय कुमार पात्र, पिता-स्व0 राखाल चन्द्र पात्र, निवासी ग्राम-राजलाबाँध, थाना-बहरागोड़ा, जिला-पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर के आलोक में राज्य सरकार, झारखण्ड (अंचल अधिकारी, बहरागोड़ा) को पक्षकर बनाकर अंचल अधिकारी, बहरागोड़ा द्वारा नामान्तरण मुकदमा संख्या-59/1998-99 में पारित आदेश के विरुद्ध वाद प्ररम्भ किया गया है। अपीलकर्ता द्वारा दायर आवेदन पत्र की प्रविष्टि की स्वीकृति प्रदान करते हुए उभय पक्ष को सूचना जारी किया गया। सूचना का तामिला प्रतिवेदन अभिलेखबद्ध है। निम्न न्यायालय का नामान्तरण मुकदमा संख्या-59/1998-99 अप्राप्त है। अपीलकर्ता की ओर से Sale of deed No.1022, दिनांक-15.02.1989 की छायाप्रति, लगान रसीद की छायाप्रति, नामान्तरण मुकदमा संख्या-59/1998-99 की शुद्धि पत्र की छायाप्रति दाखिल किया गया है।</p> <p>अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता तथा अपील आवेदन पत्र द्वारा बताया गया है कि मौजा-राजलाबाँध, थाना नं0-838, खाता नं0-15, प्लॉट नं0-103, रकवा-3½ कट्टा ( 7.35 डीसमल) भूमि बिक्री केवला संख्या-1022, दिनांक-15/02/1989 द्वारा क्रय करने के पश्चात अंचल अधिकारी, बहरागोड़ा के द्वारा नामान्तरण मुकदमा संख्या- 59/1989-99 के शुद्धि पत्र में उपरोक्त खाता/प्लॉट का रकवा-0.03½ दर्ज किया गया है। रकवा अंकित करने के क्रम में कट्टा या एकड़ उल्लेख नहीं किया गया है। जिससे ऑन लाईन ईन्ट्रीज करने</p>	

~

में असुविधा हो रहा है। नामान्तरण शुद्धि पत्र में रकवा-0.03½ अंकित करते हुए कट्टा अंकित करने हेतु अनुरोध किया गया है।

अंचल अधिकारी, अंचल अधिकारी, बहरागोड़ा ने अपने पत्रांक-335, दिनांक-16/06/2017 द्वारा दलील संख्या-1022, दिनांक-15/02/1989, लगान रसीद संख्या-8518793, दिनांक-22/03/2000 तथा 2000-2015 तक का लगान रसीद की छायाप्रति संलग्न करते हुए प्रतिवेदित किया गया है कि आवेदक श्री बिजय पात्र, पिता-स्व0 राखाल चन्द्र पात्र निवासी डोमजुड़ी ने विक्रय दस्तावेज संख्या-1022, दिनांक-15/02/1989 के द्वारा मौजा-राजलाबोध, थाना नं0-838, खाता नं0-15, खेसरा संख्या-103 अंश भूमि क्रय किया गया है। नामान्तरण मुकदमा संख्या-59/1998-99 के शुद्धि पत्र में रकवा-0.03½ उल्लेख है कट्टा या एकड़ का उल्लेख नहीं किया गया है। लगान मात्र-0.10 पैसा उल्लेख है। प्रथम वार वर्ष-1999-2000 का लगान रसीद संख्या-8518793, दिनांक-22/03/2000 में आवेदक विजय पात्र के नाम से रकवा-0.03½ कट्टा होने का लगान रसीद में उल्लेख है। अंचल अधिकारी, बहरागोड़ा द्वारा यह भी प्रतिवेदित किया गया है कि वस्तुस्थिति स्पष्ट करने के उद्देश्य से प्रश्नगत भूमि को अंचल अमीन से नापी कराया गया, मापी के क्रम से सरजमीन पर 0.03.43 कट्टा यानी 0.0721 डीसमल जमीन आवेदक के दखल में पाया गया। विक्रय केवला संख्या-1022, दिनांक-15/02/1989, पंजी-II, पंजी-27 एवं शुद्धि पत्र में 0.03½ अंकित किया गया है।

अतः अंचल अधिकारी, बहरागोड़ा से प्राप्त प्रतिवेदन एवं अपीलकर्ता द्वारा समर्पित कागजात का अवलोकन के पश्चात आवेदक का अपील आवेदन पत्र को स्वीकृत किया जाता है। अंचल अधिकारी, बहरागोड़ा को आदेश दिया जाता है कि रकवा-0.03½ के स्थान पर 0.03½ कट्टा संशोधन करते हुए नामान्तरण शुद्धि पत्र निर्गत किया जाय।

लेखापित एवं संशोधित

भूमि सुधार उप समाहर्ता  
घाटशिला।

भूमि सुधार उप समाहर्ता  
घाटशिला।

C.C. of Last order is issued on  
date 24.01.18

24/01/18